

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।
दिनांक: नवम्बर 7 2017,

पत्रांक:म-103/डी0डी0/फा0स0/लखनऊ-14(गौतम0)/1510.

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स पैरामाउण्ट प्रोपबिल्ड प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट नं0 जी0एच0-05ए0, सेक्टर-01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित आवासीय भवन के (टावर नं0-डी0, ई0,एफ0,जी0, एच0,जे0, के0, एल0,एम0, एवं एन0) कुल 10 अदद टावरों की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2014/1720/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/256/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत निर्मित भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुशोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नौएडा श्री शेषनाथ यादव द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 17-10-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरुण कुमार सिंह को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 30-10-2017 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 11-07-2014 के द्वारा संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-45,641.00 वर्ग मी0 है, जिसमे निर्मित 10 अदद टावरों का पलोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की सं0 व चौ0	ऊँचाई मी0।
01	टावर-डी0	बेस0+स्टिल्ट एवं 18 तल	693.213	643.484/410.327	02 अदद 01.25/01.25	59.45
02	टावर-ई0	बेस0+स्टिल्ट एवं 18 तल	362.841	322.879/200.461	02 अदद 01.25/01.25	59.45
03	टावर-एफ0	बेस0+स्टिल्ट एवं 18 तल	362.841	322.879/200.461	02 अदद 01.25/01.25	59.45
04	टावर-जी0	बेस0+स्टिल्ट एवं 18 तल	693.213	643.484/410.327	02 अदद 01.25/01.25	59.45
05	टावर-एच0	बेस0+स्टिल्ट एवं 15 तल	425.525	386.02/384.612	02 अदद 01.25/01.25	49.45
06	टावर-जे0	बेस0+स्टिल्ट एवं 15 तल	535.667	484.043/484.043	02 अदद 01.25/01.25	49.45
07	टावर-के0	बेस0+स्टिल्ट एवं 15 तल	515.833	470.879/468.782	02 अदद 01.25/01.25	49.45
08	टावर-एल0	बेस0+स्टिल्ट एवं 15 तल	515.833	470.879/468.782	02 अदद 01.25/01.25	49.45
09	टावर-एम0	बेस0+स्टिल्ट एवं 15 तल	535.667	487.079/484.043	02 अदद 01.25/01.25	49.45
10	टावर-एन0	बेस0+स्टिल्ट एवं 15 तल	425.525	386.02/384.612	02 अदद 01.25/01.25	49.45
11	कामर्शियल	बेस0+स्टिल्ट, लोअर ग्राउण्ड, अपर ग्राउण्ड एवं प्रथम तल	619.31	-	02 अदद 01.50/01.25	07.20
12	कम्यूनिटी/क्लब हाउस	पोडि0 एवं भूतल	617.245	-	02 अदद 01.25/01.25	04.05
13	बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में सिंगल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया-40,409.256 वर्ग मी0 है।					
14	पोडियम:- प्रश्नगत भवन में पोडियम जिसका कवर्ड एरिया-34,863.43 वर्ग मी0 है।					

भवन का अधिमोग विवरण:-प्रस्तावित भवन का अधिमोग एन0बी0सी-2005 की आवासीय भवन श्रेणी ए0-4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भवन के सामने रोड की चौड़ाई 24.00 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है, तथा 02 अदद प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार उपलब्ध है।

2-सैटबैक:-प्रश्नगत निर्मित भवन के सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0।

(अमन शर्मा)

उप निदेशक/फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है, जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमत्य नहीं होगी तथा टावरों के चारों ओर 06-06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान उपलब्ध है। जिसको सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये।

3-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में उपरोक्त तालिकानुसार 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.25 मी० प्रत्येक उपलब्ध है। तथा बेसमेन्ट में रैम्प का प्राविधान किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो मानको के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमें सन्दर्भित बी०आई०एस० के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पायी गयी।

1-होजरील/डाउनकामर:- प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाइप एवं ब्रान्च पाईप का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाई गई।

2-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

3-पम्पस:- प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास 2280 एल०पी०एम० क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, व समान क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प एवं 180 एल०पी०एम० क्षमता का जीकी पम्प मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

4-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली० कार्यशील दशा में स्थापित है।

5-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन में टेरिस पम्प वांछनीय नहीं है।

6-वेटराईजर्:- प्रश्नगत भवन में वेटराइजर एन०बी०सी० एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०-3844 मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रश्नगत भवन में रिग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस, फायर सर्विस इन्लेट कार्यशील दशा में स्थापित है।

8-ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट एवं सम्पूर्ण टावरों के समस्त तलों पर ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित है।

10-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी०-2005 की टेबिल-23 के अनुसार वांछनीय नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार स्थापित है।

12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के एकल बेसमेन्ट है, जिसमें नैचुरली वेंटीलेशन एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित है।

13-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में प्रेशराईजेशन वांछनीय नहीं है।

14-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित है।

15-पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स पैरामाउण्ट प्रोपबिल्ड प्रा०लि० द्वारा प्लॉट नं० जी०एच०-05९०, सेक्टर-01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित आवासीय भवन के (टावर नं०-डी०, ई०,एफ०,जी०, एच०,जे०, के०, एल०एम०, एवं एन०) कुल 10 अदद टावरों में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता के आधार पर कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1-भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने की कृपा करे कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैंडबूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5-प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मौक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुत्क्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/स्वामी का होगा।

7-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अभिन शर्मा)
उप निदेशक, फायर-सर्विस
शेरत/सहरनेपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स पैरामाउण्ट प्रोपबिल्ड प्रा०लि०, द्वारा प्लॉट नं० जी०एच०-05९०, सेक्टर-01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।